तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 53/2024 अपील अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2024/65)

अनवानः

1. अमनदीप कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरमीन सिधू पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. ताहिरा पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. बलविन्द्रसिंह उर्फ हरिन्द्रपाल सिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गुरतेज कौर पत्नी मालासिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. इकबाल सिंह पुत्र श्री मालासिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखदेव सिंह पुत्र श्री मालासिंह जाति जटसिख निवासी चक वजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब।
4. ठानासिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू पोस्ट बूधरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. बलराज सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू पोस्ट बूधरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरदास सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू पोस्ट बूधरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. रणधीर सिंह पुत्र ठानासिंह निवासी चक 7 बीएनडब्ल्यू पोस्ट बूधरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. पालकौर पुत्री मालासिंह पत्नी सिमरनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 एएस ठाणी पूर्व सरपंच मलकीत सिंह की ढ़ाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
9. गुरमेलकौर पुत्री मालासिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 74 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
10. अमनदीप पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. सन्दीपसिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा रतेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पदमपुर।

04.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि उपरोक्त अनुवानी अपील अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव पेश की है। उक्त अपील में गुरतेज कौर रेस्पो. सं. 1 का देहान्त सन् 2008 में हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2024 में मृतक गुरतेज कौर के जायज वारिसान रिकार्ड पर लिये जा चुके है। स्वयं की अपील थी फिर भी मृतक को द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रकाश कौर पुत्री मल सिंह हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार थी फिर भी जानबूझ कर कानून की अनदेखी करके द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 गुरतेज कौर पूर्व से मृतक है। अपील भी मृतक के नाम से पेश की है, आवश्यक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पक्षकार है। अपील अबैट हो चुकी है, चल नहीं सकती। गुरतेज कौर की मृत्यु दिनांक 23.08.2008 को ही हो चुकी हैं, स्पष्टतः डिफेक्टिव अपील है। मृतक के विरूद्ध व मृतक के नाम से पेश की है, मियाद समाप्त हो चुकी है। अतः अपील अबैट होने से व मृतक के विरूद्ध पेश होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी प्रार्थना पत्र बहस के संबंध में आर.आर.डी. 1985 पेज संख्या 304 को अवलोकनीय बताया है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपति बिना किसी उचित कारण के पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरतेज कौर के वारिसान अपील में पहले से ही बतौर रेस्पोडेन्ट अंकित है तथा प्रकाश कौर के वारिसान भी अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट अंकित है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। उक्त अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने मृतक को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाते हुए अपील पेश की है जबकि मृतक गुरतेज कौर का देहांत दिनांक 23.08.2008 को ही हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट विधि विरूद्ध होने के कारण अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक कानूनी आपति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर